इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 13 अंक संख्या 12 अगस्त, 2021 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------5
विनियामकों के कथन ----------7
आर्थिक संवेष्टन ----------8
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली ----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की बैठक की मुख्य विशेषताएँ

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 3री बैठक 4 से 6 अगस्त, 2021 तक आयोजित की गई। मौद्रिक नीति समिति की उक्त बैठक की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार रहीं :

- पुनर्खरीद (repo) और प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर क्रमश: 4% और 3.35% पर बरकरार रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 4.25% पर कायम रखी गई।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) घटाकर प्राप्त की जाने वाली सीमांत स्थायी सुविधा को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया।
- वित्त वर्ष 22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान बढ़ाकर 5.7% किया गया।
- वित्त वर्ष 22 की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का पूर्वानुमान 9.5% पर कायम रखा गया।
- सदा-सुलभ लक्ष्यांकित दीर्घावधिक पुनर्खरीद परिचालन (TILTRO) योजना को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों को शामिल किया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सुदृढ़ बनाने और अधिकाधिक विक्रेताओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को खुदरा एवं थोक व्यापारियों को शामिल करने के लिए आशोधित कर दिया गया है। इस परिवर्तन के पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में केवल विनिर्माण और सेवा उद्यमों का ही समावेश होता था।

ब्याज समकरण योजना के जरिये निर्यातकों को सहायता प्राप्त हुई

1 जुलाई, 2021 से निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण (equalisation) योजना की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उक्त योजना 416 उत्पादों के लिए विनिर्माण और तिजारती वस्तुओं के निर्यातकों को पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर 3% की ब्याजगत आर्थिक सहायता की अनुमति देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह कार्रवाई कोविड की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्षरत निर्यातकों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोधनयोग्य कैसेटों की अदला-बदली के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढाई गई

भारतीय रिजर्व बैंक ने निकट अतीत में ही एटीएमों में नकदी को दुबारा भरते समय रोधनयोग्य (lockable) कैसेटों की अदला-बदली की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों में इस नयी प्रणाली को कार्यान्वित करने में बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने रोधनयोग्य कैसेटों के उपयोग को जारी रखने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलत: वर्ष 2018 और उसके बाद से प्रति वर्ष कम-से कम एक तिहाई एटीएमों में इस परिवर्तन को लागू करने की योजना बनाई थी, ताकि इस प्रक्रिया को 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जा सके।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

कुछेक बेंचमार्क प्रतिभूतियों के लिए एकसमान मूल्य नीलामी पद्धति घोषित

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बाजार की विद्यमान स्थितियों के साथ ही सरकार के बाजार से उधार लेने से संबन्धित कार्यक्रम की समीक्षा की थी। इस पुनरीक्षण के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय और 14 वर्षीय अवधियों वाली बेंचमार्क प्रतिभूतियों और अस्थिर दर वाले बाँड़ों को जारी किए जाने हेतु एकसमान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अन्य बेंचमार्क प्रतिभूतियाँ यथा- 30 वर्षीय और 40 वर्षीय अवधि वाली बहुविध मूल्य आधारित नीलामी के जरिये जारी की जाती रहेंगी।

जमकर्ताओं को अतिदेय अथवा अदावी मीयादी जमाराशियों पर कमतर ब्याज मिलेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने (भारतीय रिजर्व बैंक के) मास्टर निर्देश की धारा 9 (बी) को संशोधित कर दिया है जिसके अनुसार अतिदेय अथवा अदेय मीयादी जमाराशियां उनके जमाकर्ताओं के लिए कमतर ब्याज दर अर्जित करेंगी। उन पर लागू होने वाली दर बचत खाते की दर अथवा परिपक्व जमाराशि पर संविदाकृत मीयादी जमा दर, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : वैकल्पिक संदर्भ दरें अपनाएं

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा उनके साथ ही उनके ग्राहकों को उनकी उन वित्तीय संविदाओं को 31 दिसंबर, 2021 तक समाप्त कर देने की सलाह दी है जिनकी संदर्भ दरें (reference rates) लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR) पर आधारित हों। इसके बजाय शीर्ष बैंक संक्रमण को सहज एवं सुरक्षित बनाने में बैंकों की सहायता करने के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : संवेदनशील तैनातियों पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश/छुट्टी जारी करें

अपने परिपत्रों में एक आश्चर्यजनक तत्व जोड़ते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन के संवेदनशील क्षेत्रों अथवा तैनातियों (उदाहरण के लिए मुद्रा-तिजोरियों, खजाना आदि) जैसे कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों को अनिवार्य अवकाश/छुट्टी जारी किए जाने के निदेश दिये

हैं। इन अवकाशों/छुट्टियों को पूर्व-सूचना के बिना जारी किए जाने के निदेश दिये गए हैं। इसके अलावा भी ऐसे अवकाशों/छुट्टियों पर रहते हुये कर्मचारियों की किसी भौतिक अथवा आभासी (virtual) कार्य से संबन्धित संसाधन तक पहुँच नहीं होगी। ये निदेश सभी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अंग हैं तथा इनका 6 माह की अवधि के भीतर अनुपालन किया जाना होगा।

अन्य बैंकों के निदेशकों को वैयक्तिक ऋण स्वीकृत करने हेतु बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार

25 लाख रुपए की पूर्ववर्ती सीमा को परिवर्तित करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों को अन्य बैंकों के निदेशकों को अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किए बिना 5 करोड़ रुपए तक के वैयक्तिक ऋण स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, किसी बैंक द्वारा 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ये ऋण एवं अग्रिम जब तक कि वे बैंक के बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा न स्वीकृत किए गए हों, स्वयं अपने अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकों अथवा अन्य निदेशकों के पति/पत्नी और नाबालिग/ आश्रित बच्चों को छोडकर किसी संबंधी को नहीं दिये जाने चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट योजना का उद्देश्य है वैयक्तिक निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में लाना

सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में खुदरा संलग्नता बढ़ाने के सतत प्रयास के एक अंग के रूप में शीर्ष बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए फरवरी, 2021 में "आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा" नामक एक स्थलीय समग्र समाधान की शुरूआत की थी।

उक्त योजना, जिसके प्रारम्भ की तिथि अब भी घोषित की जानी शेष है, खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनके श्रेष्ठ (GILT) प्रतिभूति खाते खोलने की सुविधा के साथ ही प्राथमिक और गौण सरकारी प्रतिभूति बाजार तक आनलाइन पहुँच की सुविधा उपलब्ध कराएगी। खुदरा निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के पास लागत-रहित खुदरा डायरेक्ट श्रेष्ठ (GILT

) खाता खोल सकते हैं तथा उसे समर्पित आनलाइन पोर्टल के जरिये बनाए रख सकते हैं। उक्त आनलाइन पोर्टल पंजीकृत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम और उसके साथ ही तयशुदा लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (NDS-OM) तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली ने अपने प्रसार-क्षेत्र को व्यापक बनाया : बैंकेतर संस्थाओं के लिए आरटीजीएस, नेफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) ने पहले चरण में पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPI) जारीकर्ताओं, कार्ड नेटवर्कों तथा श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों को तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (NEFT) के माध्यम से सहभागिता करने में समर्थ बनाने के लिए अपने प्रसार-क्षेत्र को व्यापक कर लिया है। उक्त समावेशन का उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के लिए खतरे पैदा करने वाले सभी जोखिमों को कम करना तथा किसी भुगतान प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाना है।

आवास वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमा स्वीकार करने वाले मानदंडों को संरेखित करने हेतु बैंकों ने सात साख श्रेणी -निर्धारण एजेंसियाँ अनुमोदित किए

आवास वित्त कंपनियों (HFCs) को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा सात साख श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों (CRAs) यथा- भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL), भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी-निर्धारण एजेंसी (ICRA), ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (CARE) रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग्स, अक्यूट रेटिंग्स और अनुसंधान एवं इनफर्मेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग को अनुमोदित किया गया है। वे अपनी संबन्धित न्यूनतम निवेश श्रेणी वाली रेटिंगों द्वारा समर्थित हैं। इन श्रेणी-निर्धारणों से जमाराशियों को जोखिमों के आधार पर श्रेणीकृत करने में सहायता प्राप्त होगी।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आर्थिक वृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दिये जाने की घोषणा की

हाल ही में समाप्त हुये इकोनामिक टाइम्स के वित्तीय समावेशन शिखर सम्मेलन 2021 में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने अब तक वित्तीय समावेशन में भारत की प्रगति और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के साथ ही अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या के सुभेद्य खंडों के संबंध में वैश्विक महामारी के उपरांत वाले संभाव्य परिदृश्य का उल्लेख किया। उन्होंने कोविड-19 से संबन्धित उन विघटनों के प्रभाव को शमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उन उपायों पर भी प्रकाश डाला जिनमें नीतिगत दरों में कटौती, चलनिधि योजनाओं की शुरूआत और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के दबावग्रस्त ऋणों का समाधान करने हेतु चलनिधि उपलब्ध करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक और भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि (PIDF) टियर 3 और टियर 4 वाले शहरों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में भुगतान स्वीकृति की मूलभूत सुविधा विकसित करने हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक सीबीडीसी प्रारम्भ किए जाने के गुण-दोषों पर विचार कर रहा है

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने कहा है कि केंद्रीय बैंक अब से कुछ समय पहले से केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी/मुद्रा (CBDC) प्रारम्भ किए जाने के गुण-दोषों पर विचार कर रहा है तथा वह संभवतया उसके लिए निकट भविष्य में कुछ प्रयोग भी कर सकता है। उप गवर्नर ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इन माडेलों के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद सामान्य उद्देश्य वाली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी की शुरूआत किए जाने की संभावना पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल मुद्रा/करेंसी के साथ जुड़े जोखिमों और समर्थकारी विधिक ढांचे के प्रति भी सावधान किया, क्योंकि वर्तमान विधिक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन कागजी मुद्रा वाले रूप को ध्यान में रखते हुये किए गए हैं। .

आर्थिक संवेष्टन

कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे वर्णित किए गए हैं :

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई, 2021 के तिजारती वस्तु निर्यात में जुलाई, 2020 के निर्यात की तुलना में 47.19% की प्रभावशाली वृद्धि परिलक्षित हुई।
- आर्थिक सलाहकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी आठ प्रमुख उद्योगों का संयोजित सूचकांक जून, 2021 में 126.6 रहा, जो जून, 2020 के सूचकांक की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर्शाता है।
- खाद्यान्न एवं ईंधन की मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद थोक मुद्रास्फीति छः माह की अवधि के बाद जून, 2021 में बढ़कर 12.7% रह गई।
- जुलाई, 2021 के लिए माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व जुलाई, 2020 के माल एवं सेवा कर राजस्व से 33% अधिक है। इस वर्ष संदर्भाधीन माह में माल एवं सेवा कर के रूप में केंद्र ने 50, 284 करोड़ रुपए और राज्यों ने 52,641 करोड़ रुपए वसूल किए।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 जुलाई, 2021 के दिन बिलियन रुपए	23 जुलाई, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4549373	611149
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4225412	567628
(ख) सोना	274565	36884
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11506	1546
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37891	5091

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.17300	0.28500	0.48700	0.66600	0.80400

जीबीपी	0.19360	0.4370	0.5459	0.6177	0.6674
यूरो	-0.51000	-0.480	-0.440	-0.390	**-0.340**
जापानी येन	-0.01500	-0.008	0.008	-0.009	-0.006
कनाडाई डालर	0.57000	0.80600	1.021	1.180	1,.286
आस्ट्रेलियाई डालर	0.10600	0.210	0.411	0.568	0.758
स्विस फ्रैंक	-0.67500	-0.650	-0.585	-0.510	-0.430
डैनिश क्रोन	-0.12420	-0.1125	-0.0840	0.0505	0.0115
न्यूजीलैंड डालर	0.83500	1.065	1.230	1.363	1.470
स्वीडिश क्रोन	-0.00500	0.042	0.102	0.168	0.242
सिंगापुर डालर	0.23000	0.360	0.580	**0.743**	0.836
हांगकांग डालर	0.22000	0.305	0.475	0.630	0.760
म्यामार	1.95000	2.130	2.350	2.470	2.570

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी (CBDC)

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा नकदी के विकल्प के रूप में जारी आभासी मुद्रा का एक रूप होती है। चूंकि वे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र देशों (nation states) की प्रारक्षित निधियों द्वारा समर्थित होती है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी को क्रिप्टोकरेंसियों के समक्ष उपस्थित होने वाली अस्थिरता से नहीं गुजरना पड़ता। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी को सावरेन मुद्रा के ऐसे डिजिटल रूप में परिभाषित करता है जिसे नकदी अथवा सावरेन समर्थित जमाराशियों में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे चलकर भारत चीन, रूस और यू॰ के॰ जैसे देशों की उस जमात में शामिल होने वाला है जिन्होंने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा/करेंसी प्रारम्भ करने की दिशा में कदम उठा लिए हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आगणक (Estimator)

आगणक जनसंख्या से लिए गए यादृच्छिक नमूने के आधार पर जनसंख्या प्राचल (Parameter) का सन्निकट मूल्य होता है। इसका मूल्य किसी यादृच्छिक नमूने पर आधारित होता है और इसलिए यह एक यादृच्छिक चर (viriable) होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रभावी शाखा प्रबंधन	11 से 13 अगस्त, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	19 से 21 अगस्त, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	24 से 26 अगस्त, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों में जोखिम प्रबंधन (ऋण जोखिम प्रबंधन पर विशेष बल सहित)	26 से 27 अगस्त, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

पूर्व-संपुटित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर वेबिनार (PPIRP)

अपनी सदस्य शिक्षण शृंखलाओं एक अंग के रूप में संस्थान के पीडीसी-दिल्ली कार्यालय ने 7 अगस्त, 2021 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के रूप में वर्गीकृत कंपनियों के लिए पूर्व -संपुटित (pre-packaged) दिवाला समाधान प्रक्रिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया। एक व्याख्याता द्वारा पूर्व-संपुटित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया जिसके बाद दिवला एवं शोधन अक्षमता और पूर्व-संपुटित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर एक पैनल विचार-विमर्श का आयोजन

किया गया। उक्त पैनल के सदस्यों में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों का समावेश था। इस वेबिनार में न केवल बैंकरों अपितु अन्य व्यावसायिकों द्वारा अच्छी-ख़ासी सहभागिता की गई।

वर्ष 2021 की परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चायनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय करते हुये उसे युक्तिसंगत कर दिया गया है। 2021 और उसके बाद संचालित परीक्षाओं के लिए केवल 6 चयनात्मक विषय यथा- खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। खुदरा बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग पाठ्यचर्या का भी समावेश होगा। 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये जाने वाले पाँच चयनात्मक विषय हैं- कारपोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, सहकारी बैंकिंग, खजाना परिचालन और वित्तीय परामर्श। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही इन पाँच चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक ऐसा विषय चुन रखे हैं जिसे 2021 की परीक्षाओं से हटा दिया गया है, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रयासों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा (परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय-सीमा और प्रयासों की संख्या उतनी ही रहेगी)। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गये चयनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जीएआरपी, यूएसए के साथ सहयोग

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 300 अमरीकी डालर के बट्टाकृत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति और देयता प्रबंधन (ALM) के मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसबीओ/सीएआईआईबी/सीएआईआईबी के चायनात्मक विषयों की परीक्षाएँ

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसबीओ की परीक्षाएँ अस्थायी तौर पर 28 और 29 अगस्त तथा 5 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाने वाली हैं। सीएआईआईबी/सीएआईआईबी के चायनात्मक विषयों की परीक्षाएँ अस्थायी तौर पर 11, 12 और 25 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाने वाली हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम कोविड की स्थितियों पर निर्भर करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। परीक्षाएँ दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को आयोजित की जाती हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश एवं इस विधि की परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के
लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam_related notice.asp

परोक्ष रूप से नियंत्रित परीक्षा विधि के अधीन दों प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से परोक्ष रूप से नियंत्रित परीक्षा विधि के अधीन दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। उक्त दोनों नए विषय हैं- स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और इन्नोवेशन इन बैंकिंग एण्ड इमार्जिङ्ग टेक्नोलाजीस। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट" के जुलाई-सितंबर, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पालिसीज- सब थीम : रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i)
संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के
लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

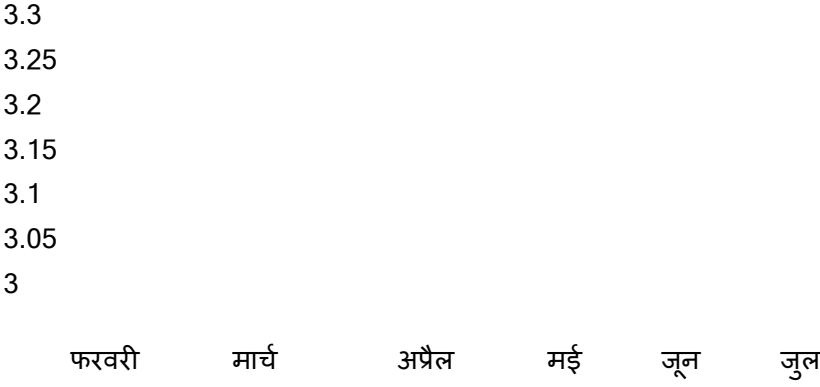

2021 2021 2021 2021 2021 2021

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

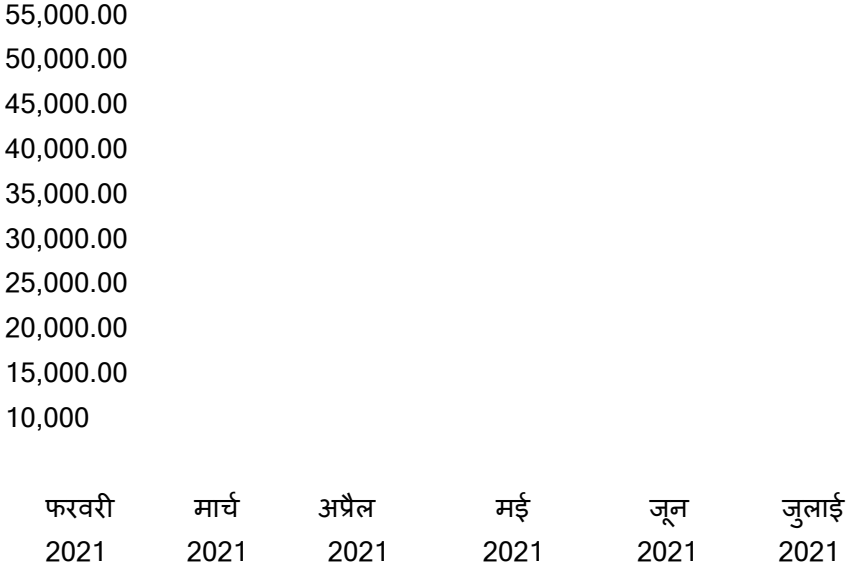

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

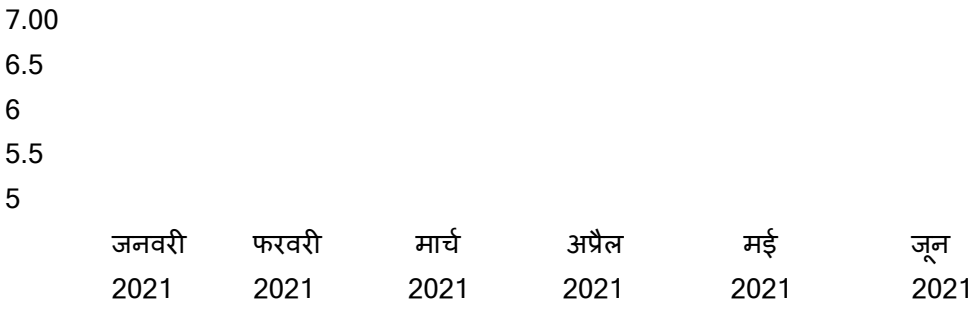

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

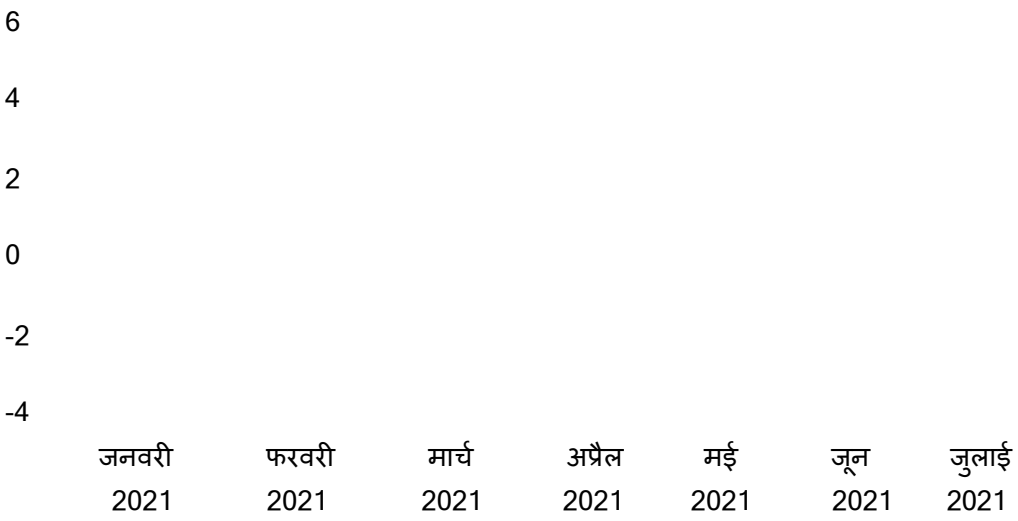

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन अगस्त, 2021